

अक्टूबर, 1994.

2

17-10-94 श्री एन० एन० वर्मा,  
अनुज्ञापन पदाधिकारी-बह-  
संयुक्त कृषि निदेशक, पाँ० सं०, बिहार,  
पटना ।

सभी संयुक्त कृषि निदेशक  
सभी उप/सहायक कृषि निदेशक, पाँ० सं०  
सभी जिला कृषि पदाधिकारी,

सभी कनीय पाधा संरक्षण पदाधिकारी

विषय:- कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 36 के तहत कीटनाशी 'संशोधन' नियम  
के अनुसार अनुज्ञापित/अनुज्ञापित का नवीकरण करने के संबंध में आवश्यक निर्देश ।

संबंध, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा  
में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कीटनाशी परिषद के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के  
कीटनाशी नियम 1971 के नियम 10-11 में निम्नांकित संशोधन किया गया है जो दिनांक-  
93 के द्वारा प्रभावी हो चुका है ।

10 उप नियम 12:- उप नियम 11 के अन्तर्गत अनुज्ञापित निर्यात अथवा नवीकरण के लिए मुक्त  
कीटनाशी 20 बीस एपर अधिकतम 300/- तीस सौ रुपए है । प्रत्येक स्थान के लिए अलग  
होगा ।

परन्तु पर्यटन प्रयोग के वास्ते सामान्य कीटनाशियों का अधिकतम शुल्क प्रत्येक स्थान  
10 रुपए एपर है ।

परन्तु 'प्रायोगिक क्षेत्रों' में स्थापित विक्री केन्द्रों के लिए इस उप नियम में निर्धारित  
परिमाणु मान्य है ।

नियम 10 उप नियम 14:- प्रत्येक व्यक्ति को अनुज्ञापित निर्यात अथवा नवीकरण  
कराने के वास्ते आवेदन पत्र के साथ विनिर्माता पत्र द्वारा प्रदत्त प्राधिकार प्रमाण  
देना होगा ।

12 प्राधिकारी प्रमाण-पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुज्ञापन पदाधिकारी को सम्बोधित  
जिसमें कीटनाशी का पंजीयन संख्या एवं विनिर्माण अनुज्ञापित संख्या अंकित रहेगा ।

कृष्ण पृ०, 30,

11. आधारातः निम्न अनुज्ञापन नवीकरण के लिए आवेदन पत्र अनुज्ञापित की अवधि देना है और यदि आवेदन पत्र अनुज्ञापित के बाद परंतु तीन मासों के लिए देना है तो उसके साथ निम्न प्रकार के प्रत्येक पुस्तक पूर्ण में निर्धारित पुस्तक के साथ देना है।

13. प्रथम माह अथवा मास के लिए 10 रुपए वित्तीय माह अथवा मास के लिए तथा तीसरे माह अथवा मास के लिए 30/- रुपए। अनुज्ञापित की मान्य अवधि को समाप्त होने पहीने बाद अनुज्ञापित स्वतः रद्द समझा जाएगा।

अतः अनुरोध है कि बीटनाशी की किसी भंडारण वितरण अथवा प्रत्येक के लिए अनुज्ञापित निर्गत अथवा अनुज्ञापित का नवीकरण करने के लिए उल्लिखित नियमों को ध्यान में रखकर। बीटनाशी संशोधन नियम 1993 के अनुसार संक्षेप में आवश्यक विन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया गया है। अच्छा तो यह होगा कि विशेष जानकारी के लिए बीटनाशी संशोधन नियम 1993 की एक प्रति आप स्वयं अपने कार्यालय में रखें तथा आपके क्षेत्र में पढ़ने वाले नवीकरण अधिकारियों को नये संशोधनों के विषय में जानकारी करा दें।

वितरण भाग  
25/10

अनुज्ञापन पदाधिकारी-सक  
संयुक्त पूर्ण निदेशिका सं० 100 दिनांक  
1/10  
पटना।

14 मार्च 2001

विश्व कृषि विभाग  
पंजाब, दिनांक 14/3/2001

संख्या- 713/2001/001

9002  
पंजाब

कृ०/ उर्वरक निपेक्षक विभाग, पंजाब 1985 की धारा-7 एवं 36 के अधीन प्रवृत्त शक्तियों के तहत, पूर्व में निर्गत कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या- 78/2001 दिनांक 13-6-86 को अतिरिक्त करते हुए उर्वरक निपेक्षक के पूर्वनिषेधन से राज्य सरकार द्वारा विनियोजित पत्र में उक्त शक्तियों का उपयोग विनियम द्वारा किया जाता है :-

क्रमांक	विवरण	प्रति
1	उर्वरक मिश्रण, विशेषतः विशेष मिश्रण अ. सम्मिलित है, का विनिर्माण करने के लिये :-	प्रति टन
1	उर्वरक मिश्रण/ मार्ब्रो-यूट्रोफेन्टर विनिर्माण के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र -	1000-00 एक हजार रूपये
2	उर्वरकों के विशेष मिश्रण के विनिर्माण के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र -	500-00 पाँच सौ रूपये
3	उर्वरक मिश्रण/ मार्ब्रो-यूट्रोफेन्टर के विनिर्माण पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीकरण	1000-00 एक हजार रूपये
4	उर्वरक मिश्रण के विनिर्माण के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन	200-00 दो सौ रूपये
5	उर्वरक मिश्रण विनिर्माण पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिये विलम्ब शुल्क	100-00 एक सौ रूपये
6	उर्वरक मिश्रण/ उर्वरक विशेष मिश्रण/ मार्ब्रो-यूट्रोफेन्टर के पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय/ अतिरिक्त प्रतियों के लिये	100-00 एक सौ रूपये
7	उर्वरक व्यापार के लिये	
8	शोक उर्वरक विक्रेताओं के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र	2250-00 दो हजार दो सौ पचास रूपये
9	सुदूर उर्वरक विक्रेताओं के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र	1250-00 एक हजार दो सौ पचास रूपये
10	शोक उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीकरण	2250-00 दो हजार दो सौ पचास रूपये
11	सुदूर उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीकरण	1250-00 एक हजार दो सौ पचास रूपये
12	शोक उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिये विलम्ब शुल्क	75-00 पचास रूपये
13	सुदूर उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिये विलम्ब शुल्क	60-00 साठ रूपये
14	शोक उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन	150-00 एक सौ पचास रूपये

10

30/3/2001

संशोधन  
- गोक उर्वरक विज्ञानियों के पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रतिरिक्त प्रतियों के लिए  
- गोक उर्वरक विज्ञानियों के पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रतिरिक्त प्रतियों के लिए -

50-00  
75-00  
25-00

नोट- कृषि विभाग के कृषि विभाग के पंजीयन को समाकरण विभाग शुल्क के क्रिया जमाया।  
2- कृषि विभाग के कृषि विभाग के पंजीयन को समाकरण विभाग शुल्क के क्रिया जमाया।  
3- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विचार राज्यपाल के आदेश से  
सरकार के संयुक्त सचिव

जाप संख्या - 5/F-33/85-100/ कृपटना, दिनांक 14 मार्च 2001  
प्रति लिपि - अधीक्षक, सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का आदेश।

सरकार के संयुक्त सचिव

जाप संख्या - 5/F-33/85-100/ कृपटना, दिनांक 14 मार्च 2001  
प्रति लिपि - सचिव, भारत सरकार, कृषि विभाग, नया दिल्ली को उपलब्ध कराने का आदेश।

सरकार के संयुक्त सचिव


जाप संख्या - 5/F-33/85-100/ कृपटना, दिनांक 14 मार्च 2001  
प्रति लिपि - सभी विभाग/विभागों पर सभी प्रमुख/सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का आदेश।

सरकार के संयुक्त सचिव

Gm  
5/3/2001


कृप0308

5/F-33/85-120/कुम्भारना, दिनांक 14 मार्च 2001  
 प्रतिनिधि- कुट्टि निदेश, बिहार, पटना/ कुट्टि निदेशक, एररड राज्य संघी/  
 कुट्टि निदेशक/ संयुक्त कुट्टि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान विहार, पटना/  
 निदेशक गुण नियंत्रण विहार, पटना/ कुट्टि निदेशाधीन के सभी पदाधिकारी/  
 कुट्टि पदाधिकारी/ सभी परिशोधन कार्यालय पदाधिकारी को सूचनाार्थ  
 देय प्रेषित।



संसाधन के संयुक्त सचिव  
 14 मार्च 2001

5/F-33/85-120/कुम्भारना, दिनांक 14 मार्च 2001  
 प्रतिनिधि- राज्य के सभी प्रमुख उर्वरक आपूर्ति विभागों/ सभी उर्वरक मिशन/  
 उर्वरक मिशन के निपत्तियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।



संसाधन के संयुक्त सचिव

5/3/2001